रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 568] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 23, 2006/अग्रहायण 2, 1928

No. 568] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 23, 2006/AGRAHAYANA 2, 1928

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2006

सा.का.नि. 723(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के बाद एतद्द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में नियम 10 में;

(i) उप-नियम (1) और (6) में, 'दो वर्षों' शब्दों के स्थान पर क्रमशः 'एक वर्ष' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) उप-नियम (2) के तहत किसी पेंशनभोगी को कोई वाणिज्यिक रोजगार प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करने अथवा अस्वीकार करने में, सरकार को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा, अर्थात्: -

(क) क्या सेवानिवृत्ति के बाद प्रस्तावित वाणिज्यिक रोजगार हेतु संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी से और अधिकारी के उस कार्यालय से जहां से वह सेवानिवृत्त हुआ है, 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) क्या अधिकारी का अपनी सेवा के अंतिम तीन वर्षों में किसी ऐसी संवेदनशील अथवा सामरिक महत्व की सूचना से संबंध रहा है जिसका प्रत्यक्ष संबंध ऐसे संगठन, जिसमें उसने कार्यभार ग्रहण करने का प्रस्ताव किया है अथवा ऐसे क्षेत्रों में जिसमें उसने प्रैक्टिस अथवा परामर्शी सेवाएं देने का प्रस्ताव किया है, के हित अथवा कार्य क्षेत्रों से है;

(ग) क्या जिस कार्यालय में अधिकारी ने अंतिम तीन वर्षों में पद धारित किया हुआ था, उसकी नीतियों और जिस संगठन में वह शामिल होने का प्रस्ताव करता है, उसके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे हितों अथवा कार्यों के बीच हितों का टकराव है अथवा नहीं।

स्पष्टीकरण:- इस खंड के प्रयोजनार्थ "हित के टकराव" में सरकार अथवा इसके उपक्रमों के साथ सामान्य आर्थिक प्रतिस्पर्धा शामिल नहीं होगी।

(घ) क्या जिस संगठन में वह शामिल होना चाहते हैं, उसका, किसी भी प्रकार से, भारत के विदेश संबंधों, राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सौहार्द के साथ टकराव रहा है अथवा वह संगठन इन सभी के प्रतिकूल रहा है और क्या वह संगठन किसी भी रूप में आसूचना एकत्र करने से संबंधित कोई कार्य कर रहा है;

(ङ) क्या अधिकारी का सेवा रिकॉर्ड, विशेषत: सत्यनिष्ठा और गैर-सरकारी संगठनों के साथ कार्य-व्यवहार के संबंध में, साफ-सुथरा है;

(च) क्या प्रस्तावित परिलब्धियां और आर्थिक लाभ, उद्योग जगत में वर्तमान में प्रचलित परिलब्धियों और आर्थिक लाभों से बहुत अधिक हैं ।

स्पष्टीकरण:- इस उप-खंड के प्रयोजनार्थ "बहुत अधिक" शब्दों का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि इसमें ऐसी प्रसुविधाओं में हुई बढ़ोतरी को भी शामिल किया जाए जो उद्योग जगत अथवा समग्र अर्थव्यवस्था में उन्नयन के परिणामस्वरूप दिए जा रहे हों;

(छ) अन्य कोई संगत कारक ।

(iii) फार्म 25 में :—

(क) क्रम संख्या 7 में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(ग) क्या अधिकारी का, अपनी सरकारी नौकरी (कैरिअर) के अंतिम तीन वर्षों के दौरान उस फर्म अथवा कम्पनी अथवा संस्था इत्यादि से कोई कार्य-व्यवहार रहा था ।"

(ख) क्रम संख्या 9 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"9. घोषणा :-

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि-

(क) वह रोजगार, जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, में ऐसे क्रियाकलाप अन्तर्निहित नहीं होंगे जो भारत के विदेश संबंधों, राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सौहार्द के प्रतिकूल हों । इसमें मेरे द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान धारित पद अथवा कार्यालय की नीतियों के साथ हितों का टकराव नहीं होगा और वह संगठन, जिसमें मैं शामिल होना चाहता हूँ, द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे हित अथवा किए जा रहे कार्य के कारण मेरा सरकार के कार्यकरण के साथ टकराव नहीं होगा।

(ख) मैं अपनी सेवा के अंतिम तीन वर्षों के दौरान ऐसी किसी संवेदनशील अथवा सामरिक महत्व की सूचना से संबंधित नहीं रहा जो उस संगठन, जिसमें मैं कार्य करना चाहता हूँ, के हित क्षेत्रों अथवा कार्य से जुड़ी हो, अथवा ऐसे क्षेत्र से जुड़ी हो जिसमें मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ अथवा परामर्शी सेवा देना चाहता हूँ।

(ग) मेरा सेवा रिकॉर्ड, विशेषत: सत्यनिष्ठा और गैर-सरकारी संगठनों के साथ कार्य-व्यवहार के संबंध में साफ-सुथरा है।

(घ) सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति करने पर मैं वाणिज्यिक रोजगार छोड़ने के लिए सहमत हूँ ।

पता

स्थान

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर"

[फा. सं. 27012/1/2006-स्थापना (क)]

सी.बी. पालीवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :-मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 1-4-1072 के संख्या का.आ. 934 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए थे :—

1. का. आ. 254, दिनांक 4 फरवरी, 1989
2. का. आ. 970, दिनांक 6 मई, 1989
3. का. आ. 2467, दिनांक 7 अक्तूबर, 1989
4. का. आ. 899, दिनांक 14 अप्रैल, 1990
5. का. आ. 1454, दिनांक 26 मई, 1990
6. का. आ. 2329, दिनांक 8 सितम्बर, 1990
7. का. आ. 3269, दिनांक 8 दिसम्बर, 1990
8. का. आ. 3270, दिनांक 8 दिसम्बर, 1990
9. का. आ. 3273, दिनांक 8 दिसम्बर, 1990
10. का. आ. 409, Y दिसम्बर, 1990
11. का. आ. 464, दिनांक 16 फरवरी, 1991
12. का. आ. 2287, दिनांक 7 सितम्बर, 1991
13. का. आ. 2740, दिनांक 2 नवम्बर, 1991
14. सा. का. नि. 677, दिनांक 7 —— 1991
15. सा. का.नि. 399, दिनांक 1 फरवरी, 1992
16. सा. का. नि. 55, दिनांक 15 फरवरी, 1992
17. सा. का. नि. 570, दिनांक 19 दिसम्बर, 1992
18. का. आ. 258, दिनांक 13 फरवरी, 1993
19. का. आ. 1673, दिनांक 7 अगस्त, 1993
20. सा. का. नि. 449, दिनांक 11 सितम्बर, 1943
21. का. आ. 1984, दिनांक 25 सितम्बर, 1993
22. सा. का. नि. 389(अ), दिनांक 18 अप्रैल, 1994
23. का. आ. 1775, दिनांक 19 जुलाई, 1997
24. का. आ. 259, दिनांक 30 जनवरी, 1999
25. का. आ. 904(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2000
26. का. आ. 717(अ), दिनांक 27 मई, 2001
27. का. आ. 4000, दिनांक 28 दिसम्बर, 2002
28. का. आ. 860(अ), दिनांक 28 जुलाई, 2003
29. का. आ. 1483(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2003
30. का. आ. 1487(अ), दिनांक 14 अक्तूबर, 2005